



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-1115/RJ/7/2022-ESDW

दिनांक: 24.01.2023

श्री प्रकाश राजपुरोहित,
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी,
जिला-जयपुर,
कार्यालय कलेक्टर एवं जिलाधिकारी जयपुर,
जयपुर, राजस्थान
ई-मेल: dm-jaip-rj@nic.in

विषय: दलित आदिवासी छात्र प्रकाश चंद्र मीना, पुत्र श्री भागचंद्र मीना को 10वीं एवं 12वीं की मार्क शीट, टी. सी. एवं चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में श्री शिवराम कांगस, सचिव, दलित आदिवासी कांगस सोसाइटी, ग्राम भिवपुरा, पोस्ट- बगवनदा, तहसील - आमिर, जिला- जयपुर, राजस्थान का दिनांक 31.10.2022 का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री शिवराम कांगस से दिनांक 31.10.2022 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न), और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है। अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्रवाही से सम्बंधित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

संलग्न यथोपरि:

प्रतिलिपि संलग्न:

श्री शिवराम कांगस,
सचिव,
दलित आदिवासी कांगस सोसाइटी,
ग्राम भिवपुरा, पोस्ट- बगवनदा,
तहसील - आमिर, जिला- जयपुर,
राजस्थान

0/c
जारी किया
ISSUED

980-81

25/1/23

(एच. आर. मीना)
अनुसंधान अधिकारी